वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 22.04.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",दैनिक जागरण,हिंदुस्तान,आज, परफेक्ट मिशन,न्यायाधीश,समाचार भारत," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 22.04.2026

सात के ब्याज माफ, 37 ने कराया पंजीकरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : शासन की ओर से जारी एक मुश्त समाधान योजना-2026 (ओटीएस) के तहत लाभार्थियों को राहत पहुंचाने के लिए मंगलवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में कैंप लगाया गया। कैंप में आए लाभार्थियों की समस्या सुनने के बाद उन्हें प्रक्रिया बताई गई। ब्याज माफ करने के साथ सात लाभार्थियों को प्रमाणपत्र दिया गया। 37 लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया।

अध्यक्षता कर रहे वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा ने बताया कि योजना के तहत आवासीय व व्यावसायिक भवन आवंटित कराने के साथ कई लाभार्थी बकाया राशि जमा नहीं करा पाए थे। उस राशि पर ब्याज अधिक होने के चलते कई आवंटी बकाया राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ओटीएस योजना लाई गई है। इस योजना से बकाएदार आवंटियों को बकाया राशि जमा करने के साथ अपनी संपत्ति रजिस्ट्री कराने में आसानी होगी। इसमें सभी आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत एवं मानचित्र डिफाल्टर आवंटी लाभ पा सकते हैं। साधारण ब्याज पर निस्तारण, 30 दिन में एकमुश्त भुगतान पर तीन प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी।

एक मुश्त समाधान योजना के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र देते वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा

- शासन की ओर से जारी एक मुश्त समाधान योजना-2026 को लेकर वीडीए सभागार में लगाया गया कैंप
- 30 दिन में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को तीन प्रतिशत की दी गई है अतिरिक्त छूट

योजना के प्रमुख लाभ

- मूल शर्तों के आधार पर साधारण ब्याज से निस्तारण
- किस्तों में भुगतान की सुविधा (अधिकतम चार माह)
- 30 दिन में पूर्ण भुगतान पर तीन प्रतिशत की छूट
- पुनर्निर्धारित मामलों में भी मूल दर से गणना ।

हिन्दुस्तान –दि0 22.04.2026

ओटीएस में तीन आवंटियों ने कराया पंजीकरण

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) मुख्यालय में मंगलवार को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के लिए अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए। इस दौरान तीन आवंटियों ने पंजीकरण कराया। वीडीए सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। ओटीएस में बकायेदार आवंटियों को तीन महीने का समय दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज –दि0 22.04.2026

शासन के निर्देश पर वीडीए में एक मुश्त जमा योजना लागू

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर मंगलवार को सभागार में सचिव डाक्टर वेद प्रकाश मिश्र की अध्यक्षता में एक मुश्त जमा राशि के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी। इस योजना के तहत आवासीय व्यवसायिक मिश्रित उपयोग, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत एवं मानचित्र डिफाटर आवंटी अपना एक मुश्त बकाया जमा करकर छूट पा सकते हैं। इसमें किश्तों की भी सुविधा दी गयी है इसके लिए कोई उपभोक्ता ३० दिन में भुगतान कर तीन प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकता है। इसमें योजना को पारदर्शिता और सरलता को ध्यान में रखकर कुछ निश्चित बिंदुओं पर लाभ दिलाया जायेगा जिसमें आवंटन निलामी के माध्यम से दी गयी संपत्तियां केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रम को आवंटित की गयी संपत्ति, ग्रुप हाउसिंग एवं संस्थागत संपत्तियों की भी और मानचित्र निस्तारण के बाड डिफाटर घोषित हुए लोगों को ९० दिन का लाभ मिलेगा। किश्तों में भुगतान की सीमा चार माह रखी गयी है ३० दिन के भीतर भुगतान करने वालों को तीन प्रतिश छूट उसके लिए पांच हजार पर सौ रुपये प्रोसेसिंग शुल्क, दस हजार पर पांच सौ प्रोसेसिंग, ५० हजार पर २१०० रुपये और पांच लाख पर ११००० और दो लाख पर पांच हजार रुपये प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा। भुगतान की व्यवस्था ५० लाख तक तीस दिन में १/३ भुगतान शेष २/३ मासिक आधार पर सुविधा मिलेगी। पूर्ण भुगतान करने पर तीन प्रतिशत अलग से छूट दिया जायेगा। बकाया न चुकाने पर एक मुश्त जमा योजना के बाद कड़ाई की जायेगी और आवंटन भी निरस्त किया जा सकता है। मंगलवार को एक आंवटी रामनगर में ई ४३ बड़ी गैबी में ई ६३ और बड़ी गैबी में एसएल नंबर तीन अपना रजिस्ट्रेशन कराया। प्रतिक्षण और कार्य की शुरुआत में नगर नियोजक प्रभात कुमार, संपत्ति अधिकारी रमेश चंद्र दूबे के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

परफेक्ट मिशन –दि0 22.04.2026

ओटीएस-2026: वीडीए की बड़ी पहल, बकायेदारों को मिलेगी राहत

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। विकास प्राधिकरण ने बकायेदार आवंटियों को राहत देने और लंबित देयों के पारदर्शी निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026) की शुरुआत की है। शासन के निर्देश पर इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 21 अप्रैल को प्राधिकरण सभागार में विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देशानुसार सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में अधिकारियों और कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दी गई।

ओटीएस-2026 योजना के तहत प्राधिकरण के बकायेदार आवंटी सरल शर्तों पर अपने बकाया का निस्तारण कर सकते हैं। इस योजना में आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत संपत्तियों के साथ-साथ मानचित्र डिफॉल्टर भी शामिल किए गए हैं।

योजना का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और जनहितकारी बनाना है। योजना के प्रमुख लाभों में साधारण ब्याज के आधार पर बकाया का निस्तारण, अधिकतम चार माह तक किस्तों में भुगतान की सुविधा और 30 दिनों के भीतर एकमुश्त भुगतान करने पर 3 प्रतिशत की छूट शामिल है। इसके अलावा पुनर्निर्धारित मामलों में भी मूल दरों पर ही गणना की जाएगी, जिससे आवंटियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। शुल्क संरचना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 प्रोसेसिंग शुल्क और 5000 प्रारंभिक जमा, एलआईजी वर्ग के लिए 500 और 10,000, अन्य आवासीय व व्यावसायिक श्रेणियों के लिए 2100 और 50,000 निर्धारित किया गया है। वहीं ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत मामलों में 11,000 प्रोसेसिंग शुल्क और 5 लाख प्रारंभिक जमा तय किया गया है। मानचित्र से जुड़े मामलों में 5000 प्रोसेसिंग शुल्क और 2 लाख प्रारंभिक जमा अनिवार्य होगा। भुगतान व्यवस्था के तहत 50 लाख रुपये तक के बकाया में 30 दिनों के भीतर एक-तिहाई राशि जमा करनी होगी, जबकि शेष राशि तीन मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी। आवेदन की समयसीमा तीन माह रखी गई है और निस्तारण भी आवेदन के तीन माह के भीतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वीडीए ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में आवेदन न करने वाले आवंटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपत्ति निरस्तीकरण, कब्जा, सीलिंग और विधिक वसूली शामिल है। योजना के पहले ही दिन तीन आवंटियों द्वारा पंजीकरण किया जाना इसकी सकारात्मक शुरुआत को दर्शाता है। प्राधिकरण ने सभी आवंटियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया का समय से निस्तारण करें और भविष्य की कानूनी कार्रवाई से बचें।

न्यायाधीश –दि0 22.04.2026

ओटीएस-2026: बकायेदारों को राहत, पारदर्शी निस्तारण की दिशा में शासन के निर्देश पर वीडीए की बड़ी पहल

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय श्री पुर्ण बोरा के निर्देशानुसार सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.)-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ओटीएस (ध्हा ऊग्स एूतसहू) क्या है?एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकायेदार आवंटियों को बकाया जमा कर संपत्ति नियमित करने का अवसर मिल रहा है। इसके तहत सभी आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत एवं मानचित्र डिफॉल्टर आवंटी लाभ पा सकते है। साधारण ब्याज पर निस्तारण, किस्तों की सुविधा, 30 दिन में एकमुश्त भुगतान पर 3% छूट होगी। ओटीएस-2026 एक ऐसी विशेष योजना है, जिसके माध्यम से प्राधिकरण के बकायेदार आवंटी सरल शर्तों पर अपने लंबित देयों का निस्तारण कर सकते है। यह योजना पारदर्शिता, सरलता और जनहित को ध्यान में रखकर लागू की गई है।यह योजना निमन्-श्रेणियों पर लागू होगी आवंटन, नीलामी या अन्य माध्यम से दी गई सभी आवासीय संपत्तिया,केंद्र/राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमों को आवंटित संपत्तिया,मिश्रित उपयोग, व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग व संस्थागत संपत्तियां,मानचित्र डिफॉल्टर (90 दिन से अधिक बकाया वाले ,योजना के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं मूल शर्तों के आधार पर साधारण ब्याज से निस्तारण किस्तों में भुगतान की सुविधा (अधिकतम 4 माह) 30 दिन में पूर्ण भुगतान पर 3% छूट पुनर्निर्धारित मामलों में भी मूल दर से गणना -प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी व न्यायसंगत रहेगी । बकाया न चुकाने पर कार्रवाई: जिन आवंटियों द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध संपत्ति निरस्तीकरण ,कब्जा/सीलिंग विधिक वसूली कार्रवाई जैसी सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।ओटीएस को सफल बनाने के लिए वीडीए के प्रयास:के क्रम में अधिकारियों/ कर्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण डिजिटल व पारदर्शी आवेदन प्रणालीव्यापक प्रचार-प्रसार अभियानसमयबद्ध निस्तारण के निर्देश-आवंटियों को सुविधाजनक भुगतान विकल्प योजना के पहले ही दिन 03 आवंटियों द्वारा पंजीकरण किया गया, जो इसकी उपयोगिता और स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रशिक्षण सत्र में नगर नियोजक प्रभात कुमार, संपत्ति अधिकारी रमेश चंद दुबे सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।वाराणसी विकास प्राधिकरण सभी आवंटियों से अपील करता है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बकाया का समय से निस्तारण कराएं और भविष्य की कानूनी कार्रवाई से बचें।